रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07022026-269931
CG-MH-E-07022026-269931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
No. 553] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 4 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 583(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 8 अगस्त] 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3468 (E) तारीख 6 अगस्त] 2025 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के बीड़ जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात **"अहमदनगर-बीड-परली-वैजनाथ (261 किमी) – नई लाईन, महाराष्ट्र"** की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी, परळी , बीड़ जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात **"दैनिक मराठवाडा साथी",** और **"दैनिक महाराष्ट्र प्रतिमा"** में तारीख 30-09-2025 को प्रकाशित किया गया था ।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषण करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ङ कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड़ जिले के अंतर्गत तडोळी गाँव का विशेष रेल परियोजना **"अहमदनगर-बीड-परली-वैजनाथ (261 किमी) – नई लाईन, महाराष्ट्र"** के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण |

अ. नं.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	उपविभाग	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूधारणा पद्धती	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)	मालमत्ता		
									बोअर/ कुंआ	बांधकाम	पेड
1	08/2025	तडोळी	परळी	चंपाबाई शंकर सातभाई	102	भोगवटादार-1	7.89	0.05	-	-	-
						कुल	**7.89** (हे.आर.)	**0.05** (हे.आर.)			

[फा. सं. G197/ANG-Beed-Parli-Vaijnath/Tadoli Vlg /20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 583(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3468 (E) dated 6th August 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **"Ahmednagar-Beed-Parli-Vaijnath (261 km) - New Line Maharashtra"** in the district of **Beed** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for **SDO Parli daily Marathi newspapers namely "Dainik Marathwada Sathi" & "Dainik Maharashtra Pratima"** on dated 30-09-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **"Ahmednagar-Beed-Parli-Vaijnath (261 km) - New Line Maharashtra"** for Tadoli village in the District **Beed** in the State of Maharashtra

S. N.	LAQ CASE NO.	Village Name	Sub Division	Name of Land Holder as per 7/12	Survey No. Gat No.	Land Tenture system	Total Area As per 7/12 (Ha.)	Land to be Acquired (Ha.)	Assets		
									Bore/Well	Construction	Trees
1	04/2025	Tadoli	Parli	Champabai Shankar Satbhai	102	Bhogwatadar-1	7.89	0.05	-	-	-
						Total	**7.89 (Ha.)**	**0.05 (Ha.)**			

[F. No. G197/ANG -Beed-Parli-Vaij/Parli Tq/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.07 11:42:14 +05'30'